

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठारीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 72/2023  
दायर दिनांक :- 17.04.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/289  
निर्णय दिनांक :- 25.09.2025

1. अमानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी  
-प्रार्थी

**बनाम**

1. गीता पुत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. धर्माराम पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. धापू पुत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. पेमाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी रामेदवनगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. मथराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. मोहनी पत्नी गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. राणुलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. वीरादेवी पुत्री पुरखाराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. शेराराम पुत्र गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. सन्तोष पुत्री गोमदराम जाति जाट निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी

--: निर्णय :-

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 10 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 757/10 रकबा 4.1116 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। नकल जमाबंदी संवत् 2076-2079 व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 757/10 रकबा 4.1116 में प्रार्थी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 को 1/30 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 को 13/508 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 को 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 को 443/2540 हिस्सा, अप्रार्थी

25/9/25  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

संख्या 8 को 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 9 को 1/30 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 को 1/30 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 का अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बनी हुई एवं उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं तथा प्रार्थी प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज वगैरा डाल कर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहते प्रार्थी को काश्त करने में तथा अन्य विकास कार्य करने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 उपरोक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 757/10 रकबा 4.1116 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं—

### प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का

A ~~25/9/17~~  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलादी)

अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली के खाता संख्या 517 सम्वत् 2076-79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण अभिलिखित सह काश्तकार होने के कारण अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपभोग-उपयोग का अधिकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

### सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना-पत्र, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग-उपभोग, बैंक ऋण और हक व हिस्से की हदतक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

### अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्त्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे हैं। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।


25/9/18  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलादी)

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
 (सुरेशराम पिण्डेल आर.ए.एस.)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फलोदी)